बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(125) (1)

निगरानी याचिका क्र. /2018

प्रस्तुती दिनांक – .09.2018

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निगरानी - 5582/2018/इंदौर/भू.25.

दिनांक 12-9-18 श्री डी.डी. गुप्ता अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 12-9-18 आदि० 19-9-18 इन्दौर कैम्प

12-9-18 (डी.डी. गुप्ता)

1. **मीराबाई पति अम्बाराम पाटीदार**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
2. **महेन्द्र पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
3. **ओमप्रकाश पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
4. **हुकुमचन्द पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर

समस्त तर्फे आम मुख्त्यार :-

इस्लाम पिता शफी पटेल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – व्यापार
निवासी – 8, हीना पैलेस, खजराना, इन्दौर

– प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. **श्री गिरीराज पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
2. **श्रीमती रामसुखीदेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
3. **लीलादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर

अविरत...

4. **थापूदेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
5. **रेखादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर – प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ–70/17–18 में प्रचलित समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

(3)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5582/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-18	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्रमांक 7/अ-70/17-18 में आदेश दिनांक 23-8-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	